...जारी कर दी जावे। बहस वादपत्र पर श्रवण की गई। पत्रावली आदेश दिनांक ... को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

17.05.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात पाते है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानानुसार रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचन से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अर्न्तगत आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बसन्तपुरा पटवार हल्का माटीवाड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 54, 55, 56, 57, 64 कुल किता 5 कुल रकबा 1.9700 हैक्टर में वादी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार/बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें, इस बाबत् तहसीलदार उदयपुरवाटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो तथा पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते अंतिम डिक्री तलब होकर पेश हो।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:28:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner